भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला

नामांतरण अपील वाद सं0-03/2016-17

पंकज कुमार महतो एवं अन्य बनाम अशोक कुमार जैन एवं अन्य

आदेश

27-07-18

यह अपील वाद 1. पंकज कुमार महतो 2. जितेन्द्र कुमार दोनों के पिता स्व0 बाबूराम महतो 3. कर्ण चन्द्र महतो पिता स्व0 लखीकान्त महतो 4. लक्ष्मीकान्त महतो पिता स्व0 चतुर्भुज महतो 5. श्रीमति धरनी देवी पति गदाधर महतो सभी निवासी-ग्राम-कृष्णापुर, थाना-खरसावाँ, जिला-सरायकेला-खरसावाँ के आवेदन पर अंचल अधिकारी, खरसावाँ द्वारा नामांतरण वाद सं0-246/13-14 में दिनांक 26.02.2014 को पारित आदेश के विरुद्ध खोला गया है। अपील दायर करने में विलम्ब होने के फलस्वरुप लिमिटेशन एक्ट (Limitation Act) की धारा 5 के अन्तर्गत अलग से आवेदन प्रस्तुत किये है।

अपील सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया तथा निम्न न्यायालय से संबंधित अभिलेख की मांग किया गया और उत्तरवादी को सूचना दी गई।

उत्तरवादी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए, इसलिए अपीलकर्त्ता का एक पक्षीय सुनवाई की गई तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया गया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि प्रश्नगत जमीन मौजा-बड़ा आमदा, थाना-खरसावाँ, थाना नं0-82 के अन्तर्गत खाता नं0-288/अंश, प्लॉट नं0-224, रकवा-0.25 एकड़ मेसर्स मिश्रीलाल धरमचन्द प्रा0लि0 का रैयती जमीन है। जो सी. एस. प्लॉट नं0-518, 519 एवं 520 के आंशिक रकवा से बना है एवं बिक्री केवाला के माध्यम से 1955 में खरीद किये है। जो आर. एस. सेटेलमेन्ट में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज होकर खाता नं0-288, प्लॉट नं0-224 रकवा 0.25 एकड़ अनावाद बिहार सरकार के खाता में इन्द्राज होने के फलस्वरुप छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 90 के तहत आवेदन प्रस्तुत करने पर वाद सं0-29/1966 के आदेश के तहत मेसर्स मिश्री लाल धरमचन्द प्रा0लि0 के नाम खाता खोलकर लगान धार्य का आदेश पारित हुआ है एवं नामांतरण वाद सं0-915/68-69 के आदेशानुसार लगान 0.62 रुपये धार्य कर पंजी-II पृष्ट सं0-297 में लगान वसूली चालु है। मेसर्स मिश्रीलाल धरमचन्द प्रा0लि0 कम्पनी के अधिकृत निर्देशक अशोक कुमार जैन से विधिवत निबंधित बिक्री केवाला 3465 दिनांक 27.08.2012 के माध्यम से अपीलार्थी गण खरीदकर दखलकार है।

उन्होंने कहा कि अंचल अधिकारी, खरसावाँ स्थलीय जाँच एवं राजस्व कागजात का अनदेखी कर जमीन को काबिल लगान मानकर नामांतरण वाद सं0-246/13-14 में दिनांक 26.02.14 को त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किये है। इसलिए नामांतरण नियम एवं प्रावधान पालन करने में असफल हुए है। इसलिए यह निरस्त योग्य है एवं आवेदक के वैध दस्तावेज एवं दखल के आधार पर नामांतरण स्वीकृत करने का आदेश पारित की जाय।

Scanned with CamScanner

उपर्युक्त तथ्यों एवं प्रस्तुत राजस्व दस्तावेज एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख अवलोकन किया। अंचल अधिकारी, खरसावाँ द्वारा नामान्तरण वाद सं0-246/13-14 में दिनांक 26.02.2014 को पारित आदेश में प्रश्नगत जमीन को काबिल आवाद परती भूमि एवं लगान धार्य का मामला घोषित कर नामान्तरण अस्वीकार किये है। लेकिन अपीलार्थी द्वारा विक्रेता के नाम लगान वसूली एवं जमाबंदी चालु के साक्ष्य के रुप में लगान रसीद एवं शुद्धि पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत किये। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वाद में प्रश्नगत भूमि का जमाबंदी में लगान निर्धारित है या नहीं।

अतः अभिलेख निम्न न्यायालय में रिमाण्ड बैक किया जाता है एवं अंचल अधिकारी, खरसावाँ का निर्देश दिया जाता है। उपर्युक्त बिन्दु स्पष्ट जाँच कर नामांतरण का निष्पादन करेंगे।

लेखापित

27/07/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

27/07/18

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
सरायकेला।

Scanned with CamScanner